भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1829
16 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खसरे के मामले

1829. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री रवि किशन:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रवनीत सिंह:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री संतोष कुमार:
श्री सु. थिरुनवुक्करासर:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री हँसमुखभाई एस. पटेल:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री धर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों से बच्चों में खसरे के बड़ी संख्या में मामले रिपोर्ट किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने बच्चों की मृत्यु हुई है;
(ख) क्या सरकार ने खसरे के बढ़ते मामलों का जायजा लेने के लिए देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय बहु-विषयक दलों का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त दलों की संरचना/निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने खसरे के बढ़ते मामलों/सहायता के प्रावधान के संबंध में प्रभावित राज्य सरकारों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त रोग से निपटने के संबंध में इन राज्यों के लिए कोई निधि स्वीकृत/जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने विभाग से इसके लिए कोई रिपोर्ट मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) खसरे के बढ़ते मामलों के क्या कारण हैं और खसरा रूबेला कवरेज वैक्सीनैशन (एमआरसीबी) की राज्य-वार स्थिति क्या है तथा सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक देश से खसरे का उन्मूलन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च) नवम्बर 2022, के दौरान खसरे के मामलों में उछाल दर्ज किया गया है। प्रभावित राज्यों में बच्चों में खसरे के मामलों और इसके कारण मृत्यु की संख्या **अनुलग्नक-I** पर है।

महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और केरल के विशिष्ट जिलों/शहरों से मामलों के उछाल को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्थिति का जायजा लेने और इन राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए बहु-विषयक केंद्रीय दलों की तैनाती की है, जिनमें जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ, बाल रोग चिकित्सक और सूक्ष्म जैव विज्ञानी शामिल हैं।

तैनात केंद्रीय दलों ने रोग निगरानी कार्यकलापों को और अधिक मजबूत बनाने, खसरा वाले टीकों के साथ रोग प्रतिरक्षण को मजबूत बनाकर टीके से छूटे सभी बच्चों को शामिल करने के लिए गहन सामुदायिक जागरुकता के माध्यम से वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने, मामलों की समय पर पहचान करके, उनके रेफरल और नैदानिक प्रबन्धन आदि के जरिए मामला प्रबन्धन में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय दलों के निष्कर्षो को उनकी सिफारिशों के साथ इन राज्यों को औपचारिक तौर पर भेजा गया है ताकि समुदाय में खसरे के मामलों में आए उछाल का प्रबन्धन करने के लिए उचित और आवश्यक कारवाई की जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन मामलों के प्रबन्धन में सहायता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय किया है।

भारत सरकार राज्यों को उनकी स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने के लिए एनएचएम के तहत फ्लेक्सीबल पूल निधियों के माध्यम से उन्हें अधिक लोचशीलता प्रदान करने के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिसका उपयोग वे आवश्यकता अनुसार और क्षेत्र आधारित प्राथमिकताओं के अनुरूप कर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 और वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रभावित राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक II** पर दिया गया है।

वर्ष 2023 तक खसरे और रुबेला के उन्मूलन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राज्यों के साथ मिलकर किए गए अतिरिक्त प्राथमिक उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं;

(क) खसरा और रुबेला(एमआर) के उन्मूलन के लिए रुपरेखा तैयार की गई है और इसे भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों को वितरित किया गया है जो ऐसे उन्मूलन कार्यकलाप जिनमें खसरा और रुबेला वैक्सीन कवरेज और निगरानी का सुदृढ़ीकरण शामिल है, की योजना के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करती है।

(ख) महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड राज्यों को इस प्रकोप के विरुद्ध प्रतिक्रिया के तौर पर प्रकोपों के बाद की जाने वाली प्रमुख कार्य प्रणालियों के संबंध में विशिष्ट परामर्शिकाएं जारी की गई हैं।

(ग) राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के एमआर उन्मूलन से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय कार्याशाला का आयोजन किया गया है।

<u>अनुलग्नक I</u>

उपरोक्त राज्य के लिए बच्चों में खसरे के कारण रिपोर्ट किए गए मामलों और मौतों की संख्या (12 दिसंबर 2022 तक डेटा)

क्र.सं.	राज्य	खसरे के मामले (प्रयोगशाला से पुष्टि + महामारी विज्ञान से जुड़े + नैदानिक रूप से संगत)	संदिग्ध खसरे से मौत (जैसा कि राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया है)
1.	बिहार	1,276	7
2.	गुजरात	1,650	9
3.	हरियाणा	1,537	3
4.	झारखण्ड	2,683	8
5.	केरला	195	0
6.	महाराष्ट्र	3,075	13

अनुलग्नक II

वित्तीय वर्ष से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यवार केंद्रीय रिलीज 2019-20 से 2021-22

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1.	बिहार	1510.68	1814.63	1748.76
2.	गुजरात	1110.8	1005.66	1094.48
3.	हरियाणा	567.71	531.5	577.07
4.	झारखण्ड	830.63	602.8	640.18
5.	केरला	836.14	788.22	771.47
6.	महाराष्ट्र	1724.99	1833.59	1769.67

******